

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), लखनऊ

प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी)

प्रारूप ख-प्रधानमंत्री आवास योजना (सभी को आवास-2022) के तहत स्लम पुर्नविकास विकल्प के अलावा अन्य विकल्पों हेतु लाभार्थी से मांगे जाने वाली सूचना

1. परिवार के मुखिया का नाम

2. लिंग (पुरुष-01 महिला-02, उभयलिंगी-03)

3. पिता का नाम

4. परिवार के मुखिया की आयु

5. वर्तमान पता और सम्पर्क ब्यौरा

(क). वार्ड नं0

(ख). मकान/फ्लैट/द्वार सं0

(ग). गली/मौहल्ले का नाम

(घ). स्थानीय निकाय

(ङ) मोबाईल संख्या

6. स्थाई पता

(क). मकान/फ्लैट/द्वार सं0

(ख). गली का नाम

(ग). शहर/गाँव

(घ). जिला, राज्य

7. मौजूदा मकान का मालिकाना ब्यौरा

(स्वामित्व-01, किराया-02, अन्य-03)

8. छत के आधार पर मकान का प्रकार

[पक्का (सीमेंट, कंक्रीट और पत्थर वाला)-01,
अर्द्ध-पक्का (सीमेंट की चादर/स्टील की चादर,
टाइल से बने हुए)-02 कच्चा (घास/छप्पर, तिरपाल,
लकड़ी से बना)-03]

9. रसोईघर को छोड़कर रिहायशी इकाई में कमरों की संख्या

10. आधार कार्ड संख्या

प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी)

11. परिवार के सदस्यों की संख्या और आयु

परिवार के मुखिया से सम्बन्ध	लिंग	आयु	आधार/मतदाता पहचान पत्र/कोई अन्य विशिष्ट पहचान सं० अथवा लाभार्थी के मूल निवास जिले के राजस्व प्राधिकारी से मकान स्वामित्व का प्रमा

12. धर्म

[हिन्दु-01, मुस्लिम-02, इसाई-03, सिख-04, जैन-05, बौद्ध-06, पारसी-07, अन्य (उल्लेख करें)]

13. जाति

[सामान्य-01, अनुसूचित जाति-02, अनुसूचित जनजाति-03, अन्य पिछड़ा वर्ग-04,]

14. बैंक का ब्यौरा

(क). बैंक खाता संख्या

(ख). बैंक और शाखा का नाम

(ग). आई.एफ.एस.सी. कोड

15. इस कस्बे/शहर में रहने की वर्षों में संख्या

(0 से 1 वर्ष-01, 1 से 3 वर्ष-02, 3 से 5 वर्ष-03, 5 वर्ष से अधिक-04)

16. मौजूदा रिहायशी इकाई का आकार (कारपेट क्षेत्र वर्गमीटर में)

17. क्या विकलांग हैं (हां/नहीं)

18. वैवाहिक स्थिति-

(ववाहित-01, अविवाहित-02, एकल महिला/विधवा-03)

19. क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी अपना मकान/रिहायशी भूमि है ? (हां/नहीं)

(क). यदि हां, तो स्थान का ब्यौरा दें।

(बस्ती/शहर/राज्य)

(ख). यदि हां, तो वर्गमीटर में भूमि का ब्यौरा दें।

प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी)

20. रोजगार की स्थिति

(स्व-रोजगार-01, वेतनभोगी-02,
नियमित मजदूरी-03, मजदूर-04, अन्य-05)

21. परिवार की औसत मासिक आय (रूपये में)

22. क्या परिवार के पास बीपीएल कार्ड है (हां/नहीं)

(क). यदि हां, बीपीएल कार्ड संख्या दें

23. परिवार की आवास आवश्यकता

(नया घर-01, वृद्धि-02)

24. आवास वृद्धि के मामले में कृपया अपेक्षित वृद्धि का उल्लेख करें।

[एक कमरा/रसोई घर/स्नान घर/शौचालय अथवा
ये सभी संयुक्त रूप से]

25. मिशन के घटक की प्राथमिकता जिसके अन्तर्गत

प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) के
तहत लाभार्थी को सहायता की आवश्यकता है

(क). ऋण से जुड़ी सब्सिडी-01

(15 वर्ष के लिए रु0 6.00 लाख की धनराशि के ऋण हेतु 6.5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी देय)

(ख). भागीदारी में किफायती आवास-02

(आवास के विक्रय मूल्य पर रु0 2.50 लाख की अनुदान राशि देय)

(ग). लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण-03

(रु0 2.50 लाख की अनुदान राशि देय)

(घ). लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास विस्तार-04

(रु0 2.50 लाख की अधिकतम अनुदान राशि देय)

26. संक्षिप्त आवास सूची टीआईएन (एसईसीसी से)

(क्या सहायता लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत
आवास निर्माण/विस्तार के अन्तर्गत है)

परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

नोट :-अपात्र स्लम वासियों और उन स्लमों के लाभार्थियों के लिए ऐसे ही प्रारूप का उपयोग किया जायेगा, जिनके लिए
“सभी के लिए आवास” कार्य योजना (एचएफएपीओए) स्कीम के दिशा निर्देशों के पृष्ठ संख्या-13 पर प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए
आवास (शहरी) कार्य योजना के फ्लो-चार्ट प्रक्रिया के अनुसार निजी भागीदारी के माध्यम से स्लम पुनर्विकास के लिए विचार नहीं किया गया है।

**उपर्युक्त सूचना पर शहरी स्थानीय निकाय
प्रभारी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर**

योजना की मुख्य बाते

- (1) लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चें शामिल होंगे। लाभार्थी परिवार के पास या तो उसके नाम से अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से भारत के किसी भी भाग में पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- (2) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) परिवार 3,00,000 रु0 (तीन लाख रु0) तक की वार्षिक आय वाले परिवार कहे जाते हैं।
- (3) निम्न आय वर्ग (एलआईजी) परिवार 3,00,001 रु0 (तीन लाख एक रु0) से 6,00,000 रु0 (छः लाख रु0) तक की वार्षिक आय वाले परिवार कहे जाते हैं।
- (4) ईडब्ल्यूएस मकान 30 वर्ग मी0 तक के कारपेट क्षेत्र वाले आवास, जिसमें शौचालय, जल, बिजली इत्यादि जैसी पर्याप्त बुनियादी और अवस्थापना सेवाएं हों।
- (5) लाभार्थी के पास आधार कार्ड एवं बैंक एकाउन्ट (जो संचालित किया जा रहा है) नम्बर होना जरूरी है।

योजना के कुल चार घटक है, जो निम्नवत हैं:-

- (1) **झोपड़पट्टी पुर्नःवासन-पी0पी0पी0:-** निजी भागीदारी द्वारा जमीन को संसाधन के रूप में प्रयोग कर हाल में झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को मूल स्थान पर पुर्नःवासन कर पक्का आवास दिया जायेगा। निजी विकासकार को अतिरिक्त एफएसआई/टीडीआर का लाभ दिया जा सकता है व प्रति आवास रु0 1.67 लाख की सहायता दी जायेगी।
- (2) **ऋण आधारित सब्सिडी (क्रेडिट लिंक सब्सिडी) (CLSS):-**ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. प्रकार के आवास के नये मकान या वृद्धि के लिए लोन की रकम पर सब्सिडी एवं आवासों के लिए रु0 6 लाख तक के ऋण पर 6.5 प्रतिशत की ब्याज दर से अग्रिम सब्सिडी (Net Present Value) के आधार पर दी जायेगी। ऋण की अधिकतम अवधि 15 साल मानी जायेगी।
- (3) **एफोडेबल हाऊसिंग इन पार्टनरशिप:-** पेरास्टेटल एजेन्सी सहित निजी या सरकारी क्षेत्र के साथ, जिसमें न्यूनतम 250 आवास होने चाहिए, जिसमें से 35 प्रतिशत आवास ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के लिए आरक्षित होंगे। इसमें आवास का विक्रय मूल्य निर्धारित होगा और लाभार्थी को विक्रय मूल्य में रु0 2.50 लाख की छूट दी जायेगी।
- (4) **लाभार्थी द्वारा स्वयं आवास निर्माण या आवास के विस्तार वृद्धि के लिए सब्सिडी:-** व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग के लाभार्थियों को प्रति लाभार्थी रु0 2.5 लाख प्रति की सहायता दी जायेगी एवं आवास विस्तार वृद्धि के लिए अधिकतम 2.5 लाख की सहायता दी जायेगी।

नोट:- कोई भी लाभार्थी ऊपर योजना के चारों घटक में से केवल एक ही घटक के तहत लाभ ले पाएगा। बिन्दु नं0 2, 3 व 4 पर उल्लिखित घटकों के लिए लाभार्थी को प्रपत्र-4ख भरना है व भरकर प्रत्येक दशा में दिनांक 09.09.2016 तक सम्बन्धित डूडा कार्यालय या नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत के कार्यालय में जमा करना है अन्यथा लाभार्थी उक्त योजना का लाभ वर्ष 2022 तक नहीं ले पायेगा।